भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3501

(सोमवार, 10 अगस्त, 2026/19 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए)

कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से सीएसआर व्यय

3501. श्री राधाकृष्णः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अप्रैल 2021 से फॉर्म सीएसआर-1 के तहत पंजीकृत कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) के माध्यम से कंपनियों (एक) वित्तपोषण करने वाली कंपनी द्वारा स्वयं या अन्य कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से स्थापित आईए और (दो) स्वतंत्र सार्वजनिक न्यासों, समितियों या धारा 8 कंपनियों द्वारा वर्ष-वार किया गया कुल कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय कितना है;

(ख) विगत पांच वित्तीय वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ऐसी स्व-सृजित कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा वर्ष-वार कितनी सीएसआर निधि आवंटित, स्वीकृत, जारी की गई और वास्तव में व्यय की गई है;

(ग) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें किसी कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा स्व-सृजित सीएसआर निधि सहित व्यय न की गई निधि तीन वर्ष की अनुमेय परियोजना अवधि के बाद भी उपयोग नहीं की गई और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

और

(घ) क्या सरकार अब सीएसआर-1 पंजीकृत एजेंसियों का समेकित डाटाबेस रखती है जिसमें वित्तपोषण करने वाली कंपनी के साथ सामान्य निदेशकों/न्यासियों को दर्शाया गया हो और यदि नहीं, तो इस खामी के बने रहने के क्या कारण हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) एवं (ख): कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 4(1) के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं को सीएसआर-1 प्ररूप में अपेक्षित सूचना भरनी होती है, जिसका एकमात्र उद्देश्य सीएसआर कार्यकलापों को संचालित करने के लिए रजिस्ट्रीकरण कराना है। सीएसआर-1 प्ररूप में सीएसआर-1 के माध्यम से रजिस्ट्रीकृत किसी कंपनी अथवा कंपनियों के समूह द्वारा स्थापित कार्यान्वयन अभिकरणों तथा स्वतंत्र सार्वजनिक न्यासों, सोसाइटियों अथवा धारा 8 कंपनियों का विवरण दर्ज किया जाता है, परंतु इसमें उनके द्वारा सीएसआर निधियों के उपयोग का विवरण उपलब्ध नहीं होता है। इन संस्थाओं द्वारा की गई फाइलिंग के आधार पर, गत पाँच वित्तीय वर्षों (वित्तीय वर्ष 2021-

22 से वित्तीय वर्ष 2025-26) के दौरान ऐसी संस्थाओं के रजिस्ट्रीकरण का विवरण अनुलग्नक में संलग्न है। सीएसआर के विधिक ढांचे में सीएसआर निधियों के आवंटन, स्वीकृति अथवा निगमन का कोई प्रावधान नहीं है।

(ग): अधिनियम की धारा 135(5) एवं 135(6) में सीएसआर की अव्ययित राशि के संबंध में प्रावधान किया गया है। चालू परियोजना के मामले में कंपनी को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 30 दिनों के भीतर अव्ययित राशि कंपनी के एक विशेष खाते अर्थात् 'अव्ययित सीएसआर खाता' में अंतरित करनी होती है तथा ऐसे अंतरण की तिथि से आगामी तीन वित्तीय वर्षों के भीतर अपनी सीएसआर नीति के अनुसरण में उक्त राशि का व्यय करना होता है। तीन वित्तीय वर्षों की अवधि समाप्त होने पर, यदि कोई राशि अव्ययित रहती है, तो उसे तीसरे वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर अधिनियम की अनुसूची VII में उल्लिखित किसी निधि में अंतरित किया जाना अपेक्षित है। मंत्रालय ने कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 [(सीएआरओ, 2020)] अधिसूचित किया है, जिसके अनुसार लेखापरीक्षकों के लिए किसी भी अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण देना अपेक्षित है। जब भी सीएसआर उपबंधों के उल्लंघन की सूचना प्राप्त होती है, तब अभिलेखों की समुचित जाँच तथा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करने के उपरांत अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसी अनुपालना न करने वाली कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ की जाती है।

(घ): मंत्रालय, कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 4(1) के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं के निदेशकों/न्यासियों का डेटाबेस, संबंधित संस्थाओं द्वारा सीएसआर-1 प्ररूप दाखिल करते समय उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर संधारित करता है। जहाँ तक निधि उपलब्ध कराने वाली कंपनी के निदेशकों के विवरण का संबंध है, वह भी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है, जिसे www.mca.gov.in पर देखा जा सकता है।

अनुलग्नक

दिनांक 10.08.2026 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3501 के भाग (क) एवं (ख) से संदर्भित।

वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक सीएसआर-1 के माध्यम से रजिस्ट्रीकृत किसी कंपनी अथवा कंपनियों के समूह तथा सार्वजनिक न्यासों, सोसाइटियों अथवा धारा 8 कंपनियों द्वारा स्थापित कार्यान्वयन अभिकरणों का विवरण

विवरण	**वित्तीय वर्ष**				
	2021-22	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**
किसी कंपनी अथवा कंपनियों के समूह द्वारा स्थापित कार्यान्वयन अभिकरणों की संख्या	1,152	483	408	526	648
सार्वजनिक न्यासों, सोसाइटियों अथवा धारा 8 कंपनियों द्वारा स्थापित कार्यान्वयन अभिकरणों की संख्या	25,844	23,365	19,165	18,638	18,605

स्रोत : कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ।
